तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 73/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल्में जारी हुए
04.3.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी कुम्हार, निवासी– होलीचौक, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरूद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 16.8.2021 को फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अचलाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) का नमूना संख्या S-1457, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./459/Act/2021/557 दिनांक 19.8.2021 में अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह पंवार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। विनोद कुमार शर्मा द्वारा किसी गवाहान की उपस्थिति में कोई कार्यवाही नही की गई है एवं न ही अभियुक्त द्वारा कोई मिलावट कर चांदी वर्क को विक्रय किया गया है। विनोद कुमार शर्मा द्वारा अभियुक्त को किसी प्रकार का कोई प्रपत्र भरकर उस पर कोई हस्ताक्षर नही करवाये है, अपितु खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर करवाये थे एवं अभियुक्त को कोई जानकारी नही दी गई कि उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, इसके अलावा अभियुक्त को कोई जानकारी नही है। न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कोई किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अभियुक्त के सामने नही की गई है। पैकेट वगैराह सील बन्द करने की कार्यवाही भी अभियुक्त के समक्ष नही की गई है। मौका फर्द भी मौके पर नही बनाई है व न ही पढकर सुनाई है। केवल मात्र अभियुक्त के खाली प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाये है। चांदी वर्क की जांच रिपोर्ट के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना प्रतिवादी अभियुक्त को नही दी गई, जिसके कारण प्रतिवादी अभियुक्त रेफरल लेब से चांदी वर्क के नमूनें के दूसरे भाग की जांच करवाने के अधिकार से वंचित रहा है। यदि प्रतिवादी अभियुक्त को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई जाती तो प्रतिवादी अभियुक्त अवश्य अपील .....लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Scanned with OKEN Scanner

करता। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध गलत कथनों के आधार पर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की है, जबकि इसके असल थोक विक्रेता व निर्माता को पक्षकार बनाये बिना ही प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा चांदी वर्क रेग्यूलर ब्राण्ड को फर्म Warakhwala and sons manufacturer of golden and silver leif, Ahemdabad से जरिये बिल पैकिंग अवस्था में खरीद किया था जिसके बिल संख्या 125 दिनांक 13.8.2021 है। प्रतिवादी अभियुक्त ने भी पैकिंग अवस्था में ही चांदी वर्क को विक्रय किया है। प्रतिवादी अभियुक्त ने चांदी वर्क में कोई मिलावट नही की है एवं न ही चांदी वर्क का निर्माण किया है। जिस अवस्था में प्रतिवादी ने चांदी वर्क को खरीद किया उसी अवस्था पैकिंग अवस्था में विक्रय किया है। इस प्रकार, मिथ्याछाप व अमानक खाद्य चांदी वर्क के निर्माण व पैकिंग हेतु निर्माता वर्खवाला एण्ड सन्स् ही जिम्मेदार व दोषी है, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण की अनुसंधान में प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के बाद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त निर्माता को पक्षकार बनाये बिना ही यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे एवं निर्माता को पक्षकार बनाकर निर्माता पर जुर्माना किया जावे।

हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 16.8.2021 को समय 4–30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, शिवगंज, जिला–सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी, जाति– कुम्हार, निवासी–होली चौक, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन मार्केट, शिवगंज की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के 08 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 25 ग्राम) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता अचलाराम को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में बिक्री हेतु रखे हुए उक्त खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regilar Brand) के 08 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 25 ग्राम) में से चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के 04 पैक्ड पाउच (प्रत्येक 25 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच खरीदा एवं

.....लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

उसकी कीमत राशि रुपये 800/– (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1457, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के चारों पैक्ड पाउचों को गत्ते के डिब्बों में अलग अलग रखकर टेप से चिपकाकर चार पैकेट बनाये एवं चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के चारों नमूना पैकेटों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1457 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.8.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 16.8.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी कुम्हार की प्रोपराईटरी फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, शिवगंज में प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी कुम्हार से खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के पैक्ड पाउचों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते

......लगातार

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 73/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के नमूना संख्या S-1457 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./459/Act/2021/557 दिनांक 19.8.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (अभिहित अधिकारी) के पत्र क्रमांकःएफएसएसए/2021/944–46 दिनांक 14.9.2021 के द्वारा प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, शिवगंज को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही होने पर अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन प्रतिवादी अचलाराम ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी कुम्हार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार द्वारा चांदी वर्क को फर्म Warakhwala and sons manufacturer of golden and silver leif, Ahemdabad से क्रय करने के बिल इनवोईस संख्या 125 दिनांक 13.8.2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जबकि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के उक्त जांच रिपोर्ट में निर्माता का नाम व पता अंकित नही है व उक्त जांच रिपोर्ट में Silver foil (Regular, I.M. Patel Warkhwala brand) अंकित है। इस प्रकार, प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत बिल से यह साबित नही होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा प्रतिवादी अचलाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच खरीद किया हुआ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) की निर्माता उक्त फर्म Warakhwala and sons ही हो। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण की अनुंसधान के दौरान चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी कुम्हार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, छावनी, शिवगंज दोषी है। प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी कुम्हार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, शिवगंज द्वारा अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है। .....लगातार	

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

F.S.S.Act Case No. 73/2024

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत अमानक (Sub-standard) व मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चांदी वर्क (Silver Leaf) (Regular Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी कुम्हार, निवासी– होलीचौक, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अचलाराम पुत्र देवाराम जी कुम्हार, निवासी– होलीचौक, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अचलाराम पोकरमल, मैन बाजार, शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी अशोक कुमार को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05–4–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)